सुरेन्द्र नारायण पाण्डे
आई.ए.एस.
आयुक्त एवं सचिव

अ.शा.पत्र संख्या 4506 /रा०प०/2016
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून
दिनांक नवम्बर 23, 2016

आदरणीय महोदय,

आपका ध्यान सदियों पुरानी कहावत की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि "सरकार, सड़क पर दिखाई देनी चाहिए।" शासन एवं प्रशासन की दक्षता, कार्य कुशलता, क्षमता एवं प्रभावशीलता क्षेत्र में एवं सड़क पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। उस शासन एवं प्रशासन को सुशासित एवं बेहतर माना जाता है, जिसकी सुव्यवस्था सड़क पर एवं क्षेत्र में बेहतर ढंग से संचालित होती है। राजस्व प्रशासन सदियों पुराना विभाग है जो कि शासन एवं प्रशासन की बुनियाद है। राजस्व प्रशासन की व्यापकता सर्व विदित है तथा शासन एवं प्रशासन के प्रत्येक आयाम से इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। राजस्व प्रशासन जितना दक्ष एवं कुशल होगा, शासन की योजनाओं एवं नीतियों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने में उतनी ही ज्यादा सहूलियत होगी। यदि राजस्व प्रशासन की ओर व्यापक रूप से आधुनिक परिप्रेक्ष्य एवं सन्दर्भों में ध्यान नहीं दिया जायेगा तो इसकी प्रभावशीलता का आयाम सिकुड़ता जायेगा। इसलिये राजस्व प्रशासन के परम्परागत मानदण्डों एवं सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुये आधुनिक सन्दर्भ में इसको और अधिक बेहतर एवं प्रभावशाली बनाने के लिये कार्य किया जाना अपरिहार्य है। राजस्व प्रशासन के बुनियादी एवं मूलभूत अधिष्ठान निम्नवत् हैं :–

1. भूलेख
2. संग्रह
3. संयुक्त कार्यालय
4. सब–डिविजन
5. तहसील

इन उपर्युक्त अधिष्ठानों के माध्यम से सम्पूर्ण जिले का प्रशासन संचालित होता है जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य संचालित किये जाते हैं :–

1. भू–प्रशासन
2. राजकीय देयकों की वसूली
3. सामान्य प्रशासन
4. वादों का निस्तारण
5. विधि एवं व्यवस्था की स्थापना
6. विभिन्न लाभार्थीपरक् योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन इत्यादि

इस प्रकार राजस्व प्रशासन के विविध आयामों में हम किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं जिससे कि यह और अधिक प्रभावशाली एवं बेहतर ढंग से जनसेवा के कार्य को समर्पित हो सके। इसके लिये आपके बहुमूल्य सुझाव लाभकारी सिद्ध होंगे। इस प्रकार अधोलिखित प्रारूप पर राजस्व प्रशासन में किये जाने वाले अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक सुधारों के सम्बन्ध में आपके अभिमत/सुझाव की अपेक्षा करता हूँ।

क्र0सं0	मद का विवरण	सुझाव		अभ्युक्ति
		अल्पकालिक	दीर्घकालिक	
1	भूलेख/भू–प्रशासन			
2	संग्रह/राजकीय देयों की वसूली			
3	संयुक्त कार्यालय/सामान्य प्रशासन			
4	सब डिविजन			
5	तहसील			
6	राजस्व वाद			
7	विधि एवं व्यवस्था			
8	विभिन्न लाभार्थीपरक् योजनायें			
9	कार्मिक कल्याण			
10	संस्था द्वारा विकसित सर्वोत्तम क्रियाविधि (Best practices developed by institution)			
11	अन्य कोई, जिसका विवरण देना चाहें			

अतः राजस्व प्रशासन को और अधिक दक्ष एवं कुशल तथा प्रभावशाली बनाने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं पर अपने बहुमूल्य सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

सद्भावनाओं सहित,

भवनिष्ठ,

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)

23.11.2016

श्री .....

आयुक्त,

.....

श्री.....

जिलाधिकारी,

.....